न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 04/17 **सन् 2017**

आरसीएमएस संख्या 2017/00129

बउनवानीः–

1. मुबारक पुत्र हजारी जाति मुसलमान निवासी मैनपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी आदर्श नगर बी सवाईमाधोपुर

बनाम

1. हनीफ मोहम्मद पुत्र श्री गफूर खॉन जाति मुसलमान निवासी आर्दश नगर "बी" तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 672 निर्णय दिनांक 17.5.2016 वाके ग्राम मैनपुरा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री नैमीचन्द बैरवा — वकील अपीलान्ट

2. श्री रघु बंसल — वकील रेस्पो.

–ः निर्णय ः– **दिनांक 27.5.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 672 निर्णय दिनांक 17.5.2016 वाके ग्राम मैनपुरा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख0न0 1045 रकबा 0.45 एवं ख0न0 1298 रकबा 0.05 है0 कुल 0.50 है0 वाके ग्राम मैनपुरा में स्थित है जो अपीलान्ट के नाम खातेदारी की है जिसको रेस्पो. संख्या 1 द्वारा धोखाधडी एवं जालसाजी रचते हुए अपीलान्ट से विक्रय पत्र करवाकर गलत तरीके से अपने नाम नामा0 संख्या 672 दिनांक 17.5.2016 को अपने नाम तस्दीक करवा लिया है। यह कथन भी किया कि रेस्पो. अपीलान्ट का रिश्ते मे भतीजा लगता है तथा अपीलान्ट वृद्व एवं अनपढ होने के कारण अगूंठा लगाता है। जिसका रेस्पो. ने फायदा उठाकर अपीलान्ट को अपनी बातों मे फंसा कर न्यायालय मे लाकर केसीसी बनवाने के बहाने विक्रय पत्र पर अपीलान्ट का अंगूठा निशानी लगवा कर गलत तरीके से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का विक्रय पत्र करवा कर अपने नाम से नामा0 तस्दीक करवा लिया है। जो न्यायोचित नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त फर्जी विक्रय पत्र तस्दीक करवाने पर अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. के विरूद्ध थाना मानटाउन में एफ.आई.आर संख्या 243/2016 दिनांक 23.8.2016 को धारा 420,467,468,120बी के तहत दर्ज करवायी गयी है। जो थाना मानटाउन में अनुसंधान में लंबित है एवं उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गया था। अतः फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 672 दिनांक 17.5.2016 को निरस्त फरमाये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

डॉ0 एस0 पी0 सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 672 दिनांक 17.5.2016 वाके ग्राम मैनपुरा ख0न0 1045 रकबा 0.45 है0 व ख0न0 1298 रकबा 0.05 है0 जो कि अपीलान्ट द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 6.4.2016 को पु.सं.1 जि.स. 535 में पृष्ठ संख्या 72 के क्रम संख्या 2016001248 पर रेस्पो. के नाम पंजीबद्व करवाया गया है के आधार पर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 672 दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है। जहॉ तक विक्रय पर निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार होने का प्रश्न है तो माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 11.10.2017 को उक्त विक्रय पत्र को सही मानते हुए उक्त प्रकरण खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पंजीबद्व विक्रय पत्र पर भी सन्देह नही किया जा सकता है। तथा जब विक्रय पत्र निरस्त नही हुआ है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्त पारित आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 672 में हस्तक्षेप किया जाना न्याय संगत नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ, आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 672 दिनांक 17.5.2016 वाके ग्राम मैनपुरा की आराजी ख0न0 1045 रकबा 0.45 एवं ख0न0 1298 रकबा 0.05 है0 कुल 0.50 है0 भूमि का दर्ज फैसल किया गया है जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 6.4.2016 को पु0स0 1 जिल्द संख्या 535 पृष्ठ कमांक 72 पर क्र.स. 016001248 पर स्वंय अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. के नाम करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि प्रतीत नही होती है। जहॉ तक फर्जी विक्रय पत्र का प्रश्न है तो उक्त पंजीबद्व विक्रय पत्र को निरस्त करवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 11.10.2017 को खारिज किया जा चुका है। चूंकि जिस विक्रय पत्र के आधार पर यह नामा0 तस्दीक किया गया है वह विक्रय पत्र वर्तमान में प्रभावी है इसलिए उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामा0 को निरस्त नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल किये गये नामा0 संख्या 672 दिनांक 17.5.2016 वाके ग्राम मैनपुरा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 15:20:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: